अध्याय 5

भारतीय कृषि

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व।
- कृषि मूल्य नीति।
- कृषि विज्ञान की क्रान्तियां।
- कृषि के महत्वपूर्ण प्रकार।
- भारत में फसलों का वर्गीकरण।
- कृषि वित्त/ऋण।
- कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं, आयोग एवं निगम।

परिचय (Introduction)

भारतीय अर्थव्यवस्था 'कृषि प्रधान' अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसा कहने के दो प्रमुख कारण है, **पहला कारण,** देश की लगभग 70 (68.8 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार) प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है जिनकी निर्भरता मुख्य रूप से कृषि पर ही है, वर्तमान में जहां देश की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बहुमत (51 प्रतिशत) से अधिक होने के बावजूद भी सर्वाधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र 'कृषि' ही बना हुआ है। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 46.1 प्रतिशत भाग कृषि एवं इससे सम्बन्धित उद्योग धन्धों से अपनी आजीविका अर्जित करती है। **दूसरा कारण,** देश की भौगोलिक संरचना कृषि के लिये बहुत अनुकूल है जैसे—विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी का पाया जाना, विस्तृत मैदानी क्षेत्र, नदियों का विस्तार, जलवायु का कृषि अनुकूल होना तथा सभी प्रमुख ऋतुओं के कारण देश में सभी प्रकार की फसलें उगाना संभव है। यही कारण है कि भारत में कृषि, मौसमी जुआ होते हुए भी कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बनी हुई है। यद्यपि आधुनिक अर्थशास्त्री औद्योगीकरण और आर्थिक विकास को एक दूसरे का पूरक मानते हैं किन्तु भारत जैसी 'श्रम-अतिरेक अर्थव्यवस्था' (Labour Surplus Economy) में तीव्र गति से आर्थिक वृद्धि के लिए कृषि के विकसित ढांचे की आवश्यकता होती है।

भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व (Importance of Agriculture Sector in India)

एलन सेवरी ने कृषि क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि-'कृषि केवल फसल का उत्पादन नही है, जैसाकि आमतौर पर समझा जाता है-यह विश्व की भूमि और जल का प्रयोग कर रोटी और कपड़े का उत्पादन है। कृषि के बिना शहर, स्टॉक बाजार बैंक, विश्व विद्यालय, चर्च या सेना का अस्तित्व संभव नही है। कृषि किसी भी सभ्यता और स्थिर अर्थव्यवस्था की बुनियाद है।'

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का मूल्यांकन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है—

1. राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश
2. रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व
3. औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व
4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व

1. **राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश**—भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान प्रारम्भ में काफी अधिक था अर्थात् 1950-51 में यह प्रतिशत 55.40 था। वर्तमान में यह प्रतिशत कम हो रहा है और देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18 प्रतिशत (आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार) के आसपास है।

राष्ट्रीय आय लेखांकन की संशोधित विधि के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि, वर्ष 2015-16 में मात्र 1.2 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 4.1 प्रतिशत की बेहतर स्थिति में आ पहुँची है।

2. **रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व**—देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग 46.1 प्रतिशत कृषि एवं इससे सम्बन्धित उद्योग-धन्धों से अपनी आजीविका अर्जित करता है और कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा अंगठित व्यवसाय है।
3. **औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व**—भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। जैसे—सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तथा बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है जबकि हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना, गुड़ बनाना आदि बहुत से लघु व कुटीर उद्योगों को भी कृषि से ही कच्चा माल प्राप्त होता है। यदि किसी वर्ष कृषि उत्पादन में कमी होती है तो परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की गति भी पिछड़ जाती है। जैसे—तिलहन फसलों के अभाव में खाद्य तेलों की पूर्ति कम हो जाती है तथा इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसी क्रम में कपास के अभाव में सूती कपड़े का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। गन्ने के अभाव में चीनी उद्योग प्रभावित होता है। यह सम्पूर्ण स्थितियां देश के औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट करती है।
4. **अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व**—भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। जिसे निम्न तालिका में दर्शाये गये आयात निर्यात के आंकड़ों से दर्शाया जा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के आकड़ों के अनुसार-' भारत के कृषि निर्यात एवं आयात की वर्ष 2014 में विश्व व्यापार में हिस्सेदारी क्रमशः 2.46% तथा 1.46% थी। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषि उत्पाद है—चाय, मसाले, काफी, रबड़, चावल और तम्बाकू आदि। संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि कृषि क्षेत्र, देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इस प्रकार कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि क्षेत्र का विकास भारत की प्रगति का सूचक है।

तालिका 5.1: भारत के विदेशी व्यापार में कृषि का हिस्सा

वित्तीय वर्ष	कुल निर्यात में कृषि का योगदान (% में)	कुल आयात में कृषि का योगदान (% में)
2010-11	12.4	3.0
2012-13	13.7	3.4
2013-14	13.8	3.2
2014-15	12.1	5.82

कृषि मूल्य नीति

भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1955 में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष प्रो. दान्तेवाला को बनाया गया था। इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना था।

वर्ष 1985 में इस आयोग का नाम बदलकर 'कृषि लागत एवं कीमत आयोग, (Commission for Agriculture Costs and Prices—CACP) कर दिया गया। भारत में कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। कुल मिलाकर सीएसीपी (CACP) के दो प्रमुख उद्देश्य है—(i) किसानों को उनकी उपज का उचित व उत्साहवर्धक मूल्य देना ताकि वे कृषि उपज को बढ़ाने व कृषि कार्यों में संलग्न रहे तथा (ii) कृषि उपजों का मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करना ताकि अल्प आय वर्ग की पहुंच खाद्यान्न तक आसानी से हो सके। यदि विचार किया जाये तो यह दोनों उद्देश्य एक दूसरे के विरोधाभासी है, इन दोनों उद्देश्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से तीन मूल्यों का निर्धारण, कृषि मूल्य नीति के तहत किया जाता है—

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price—MSP)
2. खरीद मूल्य (Purchasing Price/ Procurement Price)
3. निर्गम मूल्य (Issued Price)

तालिका 5.2: कृषि मूल्य नीति के तीन मूल्यों का विवरण

मूल्य	उद्देश्य	महत्वपूर्ण तथ्य
न्यूनतम समर्थन मूल्य	एमएसपी (MSP) का उद्देश्य किसी कृषि उत्पाद के अधिक उत्पादन की स्थिति में उसकी कीमत को एक सीमा से नीचे आने पर उत्पादकों (किसानों) को सुरक्षा प्रदान करना है। एमएसपी (MSP) के द्वारा सरकार किसानों की गारण्टी देती है कि यदि आपूर्ति अधिक होने के कारण बाजार मूल्य में कमी आई तो वह **'न्यूनतम समर्थन मूल्य'** पर उनके उत्पाद को खरीद लेगी।	• सीएसीपी (CACP) न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार (खरीफ व रबी) करता है। • एमएसपी (MSP) की सिफारिशें फसल बोने से पूर्व निर्धारित की जाती है। • वर्तमान में सीएसीपी (CACP) 25 फसलों की एमएसपी (MSP) की सिफारिश करता है जिस पर अंतिम मुहर आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति लगाती है।
खरीद मूल्य	जिस मूल्य पर सरकार मण्डी से अनाज का क्रय कर अपने बफर स्टाक में रखती है, वह मूल्य ही **'खरीद मूल्य'** कहलाता है।	• खरीद मूल्य की घोषणा फसल बोने के बाद (कटाई के समय) की जाती है। • खरीद मूल्य एमएसपी (MSP) के बराबर या अधिक हो सकता है, परन्तु कम नहीं। • इस मूल्य की घोषणा भी वर्ष में दो बार (खरीफ व रबी) की जाती है।

(Continued)

मूल्य	उद्देश्य	महत्वपूर्ण तथ्य
निर्गम मूल्य	अलग-अलग योजनाओं के लिए सरकार जिस मूल्य पर अपने बफर स्टाक से अनाज जारी करती है, वह मूल्य ही '**निर्गम मूल्य**' कहलाता है। **नोट**—खरीद मूल्य व निर्गम मूल्य के मध्य का अन्तर ही खाद्यान्न सब्सिडी कहलाता है।	• निकासी मूल्य, अल्प आय वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं।

अन्य मूल्य

आर्थिक मूल्य—सरकार द्वारा स्टाक के लिए अनाजों की खरीद की जाती है। इसके साथ ही इनके परिवहन, भण्डारण तथा अन्य प्रबन्धकीय कार्यों में भी खर्च करना पड़ता है। इन सभी खर्चों को जोड़कर अनाज का जो मूल्य होता है, उसे ही '**आर्थिक मूल्य**' (Economic Value) कहा जाता है।

उचित एवं लाभप्रद/उत्साहवर्धक मूल्य—गन्ने की खरीद जिस मूल्य पर की जाती है, उसे ही '**उचित एवं लाभप्रद मूल्य**' (Fair & Remumerative Price) कहा जाता है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति (CCEA) इस मूल्य का अनुमोदन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश के आधार पर करती है। एफआरपी(FRP) को वर्ष 2009-10 में वैधानिक न्यूनतम मूल्य (एसएमपी) के स्थान पर लाया गया है।

बाजार मूल्य—बाजार में प्रचलित मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित मूल्य '**बाजार मूल्य**' कहलाता है।

दोहरी मूल्य निर्धारण पद्धति—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2006 में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेन्सीज द्वारा गेहूँ की खरीद में 38 प्रतिशत की कमी आयी कारण था, निजी व्यापारियों ने किसानों को सरकारी मूल्य से ऊंचा मूल्य दिया। इसलिए अब सरकार कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में 'दोहरी मूल्य निर्धारण नीति' अपनाती है, जिसके अन्तर्गत सरकार कृषि लागत पर आधारित न्यूनतम समर्थित मूल्य के अलावा किसानों को एक परिवर्तनीय दर भी देगी जो खुले बाजार मूल्य के परिवर्तनों के साथ जुड़ा होगा। इसके पीछे तर्क यह है कि इसके अन्तर्गत किसानों को जहाँ एक ओर न्यूनतम समर्थित मूल्य गारण्टी शुदा मूल्य के रूप में मिलेगा, वही दूसरी ओर यदि बाजार मूल्य बढ़ा तो बोनस के रूप में अतिरिक्त मूल्य भी प्राप्त होगा, जो स्थिर नहीं होगा, बल्कि बाजार की दशाओं के अनुसार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा।

कृषि विज्ञान की क्रान्तियाँ (Revolutions in Agrigultural Science)

1. **श्वेत क्रांति**

   श्वेत क्रांति की भारत में शुरूआत 1964-65 में 'सघन पशु विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गयी थी। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में 'आपरेशन फ्लड' चलाया गया था। जिसके सूत्रधार डा. वर्गीज कुरियन रहे। तीन चरणों में सम्पन्न आपरेशन फ्लड का पहला चरण 1970 से 1978 तक, दूसरा चरण 1978-85 तक तथा तीसरा चरण 1985 से 1995 तक चलाया गया।

2. **पीली क्रांति**

   खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा प्रदान की गयी। तिलहन उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया।

3. **गोल क्रांति**

   भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया जहाँ यह ग्रीष्म कालीन फसल के रूप में उगाया जाता है। किन्तु भारत में यह सर्दियों में उगाया जाता है। यह बदलाव केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (शिमला) के आधुनिक प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ है। संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों एवं रोग रोधी किस्मों के परिणामस्वरूप भारत में 'आलू क्रांति' संभव हुई, जिसे 'गोल क्रांति' की उपमा प्रदान की जाती है। यह क्रांति आज भी जारी है।

4. **नीली क्रांति**

   देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलायी गयी विशेष योजना नीली क्रांति कहलाती है।

5. **गुलाबी क्रांति**

   भारत के समग्र कृषि निर्यात में वर्ष 2009-10 के दौरान चौथा सर्वाधिक योगदान समुद्री उत्पाद का था। समुद्री उत्पाद में मछली का निर्यात भी समाहित है। भारत के समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का अमिट योगदान है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक देश है। इसलिए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मिशन तैयार किया गया जिससे झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस मिशन के परिणामस्वरूप झींगा मछली के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि हुई, जिसे गुलाबी क्रांति की उपमा प्रदान की गयी। ध्यातव्य है कि गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से भी है।

6. **कृष्ण क्रांति**

   पेट्रोलियम/खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए 'कृष्ण क्रांति' का सरकार का इरादा है। इसके लिए एथनॉल का उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 10% तक बढ़ाने तथा बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। इसी परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम मंत्रालय ने वर्ष 2004 को बायो-ट्रेड के रूप में मनाया था।

7. **धूसरग्रे क्रांति**

   स्वतंत्रता के पश्चात् देश के खाद्यान्न उत्पादन में उर्वरक उपयोग अत्यंत कम था। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समान्तर

उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किया गया है, जिसे धूसर क्रांति की संज्ञा दी गई।

8. **रजत क्रांति**

भारत में मुर्गियों द्वारा अंडा तथा मांस की उत्पादकता अत्यंत कम है। भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन 65 अंडे देती है। जबकि यूएसए में 295 अंडे देती है। इस स्थिति में सुधार हेतु 5 कुक्कुट फार्म बंगलौर, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में स्थापित किये गये तथा वहां पर उन्नत नस्ल की मुर्गियां संकरण हेतु आयात की गई। इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से देश में अंडा उत्पादन तथा मुर्गियों की उत्पादकता में सुधार हुआ जिसे रजत क्रांति की उपमा दी जाती है।

9. **सुनहरी क्रांति**

सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि से है विशेषकर सेब उत्पादन में।

10. **इन्द्रधनुषी क्रांति**

जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। इस नीति में कहा गया है कि समूचे कृषि उत्पादों को आगामी दस सालों में दो गुना किया जायेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर 4% निर्धारित की गई है। नई कृषि नीति का वर्णन इन्द्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र मे आई विभिन्न क्रांतियों यथा हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, धूसर, रजत, एवं खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति को एक साथ लेकर चलना होगा। इसी को इन्द्रधनुषी (सतरंगी) क्रांति कहा गया है।

11. **एवरग्रीन क्रांति/द्वितीय हरित क्रांति**

"द्वितीय हरित क्रांति की ओर बढ़ना है ताकि देश के सालाना खाद्यान्न उत्पादन को 210 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से दो गुना करके 420 मिलियन टन किया जा सकें।" यह विचार प्रमुख कृषि वैज्ञानिक व किसान राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एम.एस. स्वामीनाथन ने 25 जनवरी, 2006 को कोयम्बटूर में एक व्याख्यान में व्यक्त किये है। इसके लिए विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को इस्तेमाल व ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध को बढ़ावा देनें पर बल दिया गया है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर करने, लैब टू लैण्ड प्रदर्शनों को बढ़ावा देने, रेनवाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य बनाने तथा किसानों को उचित मूल्य पर साख उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी आयोग के अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में किया है।

तालिका 5.3: कृषि के महत्वपूर्ण प्रकार

कृषि	सम्बन्धित क्षेत्र
• एरोपोनिक (Aeroponics)	पौधों को हवा में उगाना
• एपीकल्चर (Apiculture)	मधुमक्खी पालन
• होर्टीकल्चर (Horticulture)	बागवानी
• फ्लोरीकल्चर (Floriculture)	फूल विज्ञान
• ओलेरीकल्चर (Olericulture)	सब्जी विज्ञान
• पॉमोलॉजी (Pomology)	फल विज्ञान
• वीटीकल्चर (Viticulture)	अंगूर की खेती
• वर्मीकल्चर (Vermiculture)	केचुआ पालन
• पिसी कल्चर (Pisciculture)	मत्स्य पालन
• सेरी कल्चर (Sericulture)	रेशम उद्योग
• मोरी कल्चर (Moriculture)	रेशम कीट हेतु शहतूत (Mulberry) उगाना।

भारत में फसलों का वर्गीकरण

भारत मे मोटे तौर पर तीन प्रकार की फसलें होती है- (i) खरीफ (ii) रबी (iii) जायद

(i) फसल—खरीफ

बोने का समय—जुलाई

काटने का समय—अक्टूबर

प्रमुख फसलें—धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, उर्द, सोयाबीन, मूंगफली।

(ii) फसल—रबी

बोने का समय—अक्टूबर

काटने का समय—अप्रैल

प्रमुख फसलें—गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी

(iii) फसल—जायद

फसल का समय—मार्च से जून के मध्य

प्रमुख फसल—तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, पत्तेदार सब्जियां

भारत मे फसलों का वर्गीकरण खाद्य एवं व्यापारिक फसलों के रूप मे भी किया जाता है। खाद्य फसलों में प्रमुख रूप से गेहूं, धान, मोटा अनाज आदि को शामिल किया जाता है जबकि व्यापारिक फसलें उन फसलों को कहा जाता है जिनका उत्पादन किसान प्राय: आंशिक या पूर्णता बेचने के उद्देश्य से करता है। देश की प्रमुख व्यापारिक फसलें निम्नवत् है—

- **तिलहन फसलें (Oilseed Crops)**—मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अरण्डी, सूर्यमुखी।
- **शर्करा फसलें (Sugar Crops)**—गन्ना, चुकन्दर
- **रेशेदार फसलें (Fibre Crops)**—जूट, मेस्टा, सनाई, कपास
- **उददीपक फसलें (Narcotic Crops)**—तम्बाकू
- **पेय फसलें (Beverage Crops)**—चाय, कहवा

कृषि वित्त/ऋण

प्रत्येक उत्पादक क्रिया के लिए वित्त एक जरूरी शर्त होती है। भारत में चूंकि कृषि ही सबसे प्रधान क्षेत्र है इसलिए इसका विकास साख या वित्त पर ही

टिका हुआ है। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को तीन प्रकार के ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है, जो निम्नवत हैं—

1. अल्पकालीन ऋण
2. मध्यकालीन ऋण
3. दीर्घकालीन ऋण

तालिका 5.4: भारतीय किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण

ऋण	समयावधि	ऋण की मांग के कारण
अल्पकालीन ऋण	15 माह से कम समयावधि के लिए। 1 साल से कम > 1 साल	इस प्रकार के ऋणों की मांग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या खेती बाड़ी जैसे-बीज, उर्वरक आदि को क्रय करने के लिये किया जाता है।
मध्यकालीन ऋण	15 माह से 5 वर्ष तक की समयावधि के लिए। 1-3 साल	इस प्रकार के ऋणों की मांग भूमि मे सुधार करने के लिए, पशु खरीदने के लिए तथा कृषि उपकरण आदि क्रय करने के लिए किया जाता है।
दीर्घकालीन ऋण	5 वर्ष से अधिक समयावधि के लिए 3 साल से ज्यादा < 3 साल	इस प्रकार के ऋणों की मांग भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, पुराने ऋणों का भुगतान करने तथा महंगे कृषि यन्त्र खरीदने के लिए किया जाता है।

भारत मे किसान अपनी वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार के स्रोतों से ऋण प्राप्त करते है— (i) संस्थागत स्रोत, (ii) गैर-संस्थागत स्रोत

तालिका 5.5: किसान के ऋण प्राप्ती के स्रोत

संस्थागत स्रोत	गैर-संस्थागत स्रोत
इसके अन्तर्गत-सरकार, सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया जाता है।	इसके अन्तर्गत-साहूकार, व्यापारी, सम्बन्धी एवं भू-स्वामी आदि को शामिल किया जाता है इनके द्वारा वितरित ऋण पर ब्याज की दरें 20 से 25% तक होती है, जो किसानों को ऋणग्रस्तता की जंजीरों में जकड़ देती है।

नोट—वर्तमान में लगभग 65% ऋण संस्थागत स्त्रोंतों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं जबकि 35% ऋण अभी भी गैर-संस्थागत स्त्रोंतो के माध्यम से वितरित किये जाते हैं।

तालिका 5.6: वित्तीय वर्ष 2014—15 के अनुसार संस्थागत स्रोतों द्वारा कृषि क्षेत्र को वितरित ऋण के आंकड़े

संस्थागत स्रोत	साख का प्रतिशत
सरकारी बैंक	16.47
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12.19
वाणिज्यिक बैंक	71.34
कुल	100.00

प्राथमिक क्षेत्र वाले ऋण

- बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों को सौंपा गया एक प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था के अब तक उपेक्षित वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बैंक ने 'प्राथमिक क्षेत्र' का गठन किया। इस क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों, लघु उद्यमियों, गरीबों, फुटकर व्यापार एवं छोटे मोटे व्यापार में लगे लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे ही 'प्राथमिक क्षेत्र वाले ऋण' कहते हैं।

आरबीआई के निर्देशानुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के अपनी उधारियों का कम से कम 40% प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। जो बैंक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते अनके विरूद्ध आरबीआई (RBI) उचित कार्यवाही करती है।

ध्यातव्य हो कि

विदेशी बैंकों को भी अपनी उधारियों का एक प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है।

तालिका 5.7: कृषि बजट—कृषिगत ऋण प्रवाह

वित्तीय वर्ष	बजटीय आवंटन
2011-12	4,75,000 करोड़
2012-13	5,75,000 करोड़
2013-14	7,00,000 करोड़
2014-15	8,00,000 करोड़
2015-16 (बजट अनुमान)	8,50,000 करोड़
2016-17 (बजट अनुमान)	9,00,000 करोड़
2017-18 (बजट अनुमान)	10,00,000 करोड़
2018-19 (बजट अनुमान)	11,00,000 करोड़

कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं,आयोग एवं निगम (Important Organizations, Commission and Corporation Related to Agriculture)

- **मूल्य स्थिरीकरण कोष**—आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने चाय, कॉफी, रबर व तम्बाकू के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' (Price Stabilisation Fund – PSF) स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन 20 फरवरी, 2003 को प्रदान कर दिया था। चार हेक्टेयर तक की जोतों के धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मूल्य स्थिरीकरण की इस अनूठी योजना के तहत कोष में सरकार द्वारा 300 करोड़ रूपये का योगदान (150-150 करोड़ की दो किश्तों में क्रमशः 2002-03 व 2003-04 के दौरान) दिया था। मूल्य स्थिरीकरण के लिए बैंचमार्क मूल्य का निर्धारण विगत सात वर्षों के अंतरराष्ट्रीय मूल्य के चल माध्य (Seven Yearly Moving Average of International Price) के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। बाजार मूल्य का बेंचमार्क मूल्य से 20 प्रतिशत तक अधिक या कम होने पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, किन्तु मूल्य में 20 प्रतिशत से भी अधिक कमी आने की स्थिति में उत्पादकों को राहत इस कोष से प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार बाजार मूल्य के बैंचमार्क मूल्य के 20 प्रतिशत से भी अधिक होने पर उत्पादकों को अतिरिक्त राशि कोष में जमा करनी होगी।
- **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग**—1965 में भारत सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनकी बोआई के समय न्यूनतम समर्थन कीमत, वसूली कीमत, और जारी कीमतों की घोषणा करता है। मार्च 1985 में कृषि कीमत आयोग का पुनर्गठन करके इसका नामकरण 'कृषि लागत एवं कीमत आयोग' कर दिया गया। यह आयोग कृषि आयातों की लागतों एवं किसानों की उचित प्रतिफल पर विचार करने के बाद 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' की संस्तुति सीसीईए(CCEA)) को करता है।
- **रूरल नॉलेज सेंटर**—नाबार्ड की मदद से भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'रूरल नॉलेज सेंटर' की स्थापना की है। इन केन्द्रों में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी व दूरसंचार तकनीक का उपयोग किसानों को वांछित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश पर एक-एक लाख रूपए की लागत से कुल एक हजार नॉलेज सेंटर स्थापित किये जा रहे है। इस पर आने वाली लागत का 'ग्रामीण आधारिक सरंचना विकास कोष' से धनराशि सरकार द्वारा दी जा रही है। प्रारंभ में यह सेंटर राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश व प. बंगाल में स्थापित किए जा रहे हैं।
- **भारतीय खाद्य निगम**—इसकी स्थापना 1965 में की गई, जो खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी, भण्डारण व संग्रहण, वितरण एवं बिक्री की व्यवस्था करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों को स्थिरता प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम बफर भंडार का निर्माण करता है ताकि खराब मौसम के दौरान उससे खाद्य पदार्थ निकालकर उपभोक्ताओं के बीच वितरित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था के फलस्वरूप साहूकारों व व्यापारियों में जमाखोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद**—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के 'कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा' के अंतर्गत गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संस्था है। यह परिषद भारत में बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में हरित क्रांति लाने और उसके बाद कृषि में निरंतर विकास में अपने अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। परिषद के अंतर्गत देश भर में 97 भारतीय कृषि अनुसंधान एवं 53 कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं।
- **नाबार्ड**—1963 में स्थापित 'कृषि पुनर्वित निगम' (जिसका परिवर्तित नाम कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम) का पुनर्गठन करने के बाद 1982 में ग्रामीण ऋण की सर्वोच्च संस्था 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' (NABARD) की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों, दस्तकारियों और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है जिससे कि ग्रामीण विकास को समेकित रूप देकर गांवों को खुशहाल किया जा सके।

तालिका 5.8: देश में प्रमुख कृषि कार्यक्रम

कार्यक्रम	प्रारंभ वर्ष	कार्यक्रम	प्रारंभ वर्ष
किसान कॉल सेन्टर	21 जनवरी, 2004	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	13 जनवरी, 2016
नोट—के.सी.सी (KCC) का टोल फ्री नंबर 1800-180-1551			
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1999-2000	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1 जुलाई, 2015
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2005-06	किसान टीवी (डीडी किसान)	26 मई, 2015
किसान क्रेडिट कार्ड योजना	अगस्त 1998	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	19 फरवरी, 2015
राष्ट्रीय बांस मिशन	2006-07	परम्परागत कृषि विकास योजना	मार्च, 2015
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1 नवंबर, 2007	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	28 जुलाई, 2014
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	1 जुलाई, 2001		

अध्याय सार संग्रह

- कृषि क्षेत्र को एजेंसी वार सर्वाधिक ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं—1. वाणिज्यिक बैंक, 2. सहकारी बैंक, 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
- राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल फसलें—गेहूं, चावल, दाल, मोटा अनाज और व्यापारिक फसलें।
- भारत में फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (वर्तमान में कार्यरत) का प्रारम्भ क्रमश वर्ष: 1985, 1999, 2010, और 2016 है।
- उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गयी थी।
- राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चर मिशन, 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है।
- ऋणात्मक कृषि विकास दर तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है।
- **'कल्याण सोना'** गेहूँ की एक किस्म है।
- 'रस्ट' गेहूं की फसल का रोग है।
- भारत दालों का निर्यात नहीं करता।
- असंचित परिस्थितियों के लिए **'मैकोरानी गेहूं'** की किस्म सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है।
- भारत में ठेकेदारी बंटाई पर कृषि लागू करने में अग्रणी राज्य पंजाब है।
- संतुलित उर्वरक प्रयोग करने का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा भूमि की उत्पादकता बनाये रखना है।
- भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है।
- भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है।
- सीएसीपी (CACP) का उद्देश्य कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, किसानों को उनकी फसलों का पर्याप्त मूल्य दिलाना ताकि वे नयी फसलों के उत्पादन करने में प्रोत्साहित हो सके तथा निम्न आय वर्ग समूह को उचित दरों पर खाद्यान्न आपूर्ति कर सके।
- हरित क्रांन्ति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं।
- भारतीय हरित क्रान्ति से संबंधित लोग इंदिरा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन एवं सी सुब्रमण्यम हैं।
- कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन व बीमा लाभ उपलब्ध कराती है।
- योजना आयोग ने भारत को 15 (आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत) प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशो में विभक्त किया।
- भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली पंत नगर (उत्तराखण्ड) है।
- उत्तर प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादन वाला क्षेत्र बुन्देलखण्ड है।
- हरित क्रान्ति का प्रारम्भ 1966-67 (छठे दशक के मध्य में) हुआ।
- बासमती चावल के दाने पकाने के बाद एमाइलोज की बहुलता के कारण लंबे हो जाते हैं ।
- सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में (अण्डा प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है) पायी जाती है।
- **'राजा 3077'** गेहूँ की एक प्रजाति है।
- बासमती चावल की **पूसा आर एच-10** संकर प्रजाति है।
- **'मही सुगंधा'** धान की प्रजाति है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला पंजाब प्रथम राज्य है।
- उ. प्र. में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है।
- हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल सनई है।
- **'बहार'** अरहर की प्रजाति है।
- **'बारानी द्वीप'** धान की एक प्रजाति है।
- सब्जी के पौधों का अध्ययन ओलरीकल्चर कहलाता है।
- उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उपयुक्त फसल-चक्र मक्का-धान-गेहूँ है।
- लौंग पुष्प फली से प्राप्त होता है।
- मक्का की फसल पकने की अवधि 140 दिन है।
- स्थानान्तरित कृषि (Shifting) असम और झारखण्ड की पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है।
- केसर की खेती सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होती है।
- झूमिंग अथवा पैड़ पद्धति में जंगल काटकर खेती की जाती है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता सीमित होने के बाद अन्य क्षेत्रों के जंगल काट कृषि की जाती है। नागालैण्ड इस कृषि के लिए प्रसिद्ध है।
- भारत दाल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है।
- गन्ने की शर्करा की मात्रा घट जाती है, यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए।
- महाराष्ट्र में कपास श्वेत फसल के नाम से जानी जाती है।
- भारत में **'चावल के कटोरे'** नाम से प्रसिद्ध कृष्णा-गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हैं।
- भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, कवर क्षेत्र के अनुसार चावल है।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक प्रगति करने वाली फसल गेहूँ का उत्पादन है।
- मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूँ की अच्छी खेती के लिये आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है।
- हरित क्रांति से अभिप्राय उच्च विविधता उपज कार्यक्रम (High Variety Yielding programme) है।
- धारणीय कृषि का अर्थ भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे।
- **'पूसा सुगंधा-5'** धान की एक सुगन्धित किस्म है।
- **'शक्तिमान-1'** और **'शक्तिमान-2'** मक्का की आनुवंशिक परिवर्तिक फसलें हैं।

- स्टॉक फार्मिंग पशुओं के प्रजनन से सम्बन्धित है।
- काली मिर्च को भारत का काला सोना कहते हैं।
- चाय भारत का हरा सोना (ग्रीन गोल्ड) कहलाता है।
- डॉ. वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है।
- 'हैण्ड बुक ऑफ एग्रीकल्चर' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित होती है।
- निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति अलफांजो है।
- **'ललित'** उन्नत अमरूद की किस्म है।
- **'वरूणा'** उन्नत सरसों की किस्म है।
- **'पन्त एल-406'** मसूर की प्रजाति है।
- **'चन्द्रा'** मूंगफली की प्रजाति है।
- **'नीलम'** अलसी की प्रजाति है।
- ईरी रेशम असम में मिलता है।
- असम का मूंगा रेशम प्रसिद्ध है।
- कर्नाटक में शहतूत रेशम की उपलब्धता है।
- टसर रेशम झारखण्ड में मिलता है।
- उत्तर प्रदेश भारत का 'शक्कर का प्याला' कहलाता है।
- काफी बोर्ड व रबर बोर्ड क्रमशः बंगलुरू व कोट्टायम में स्थापित है।
- चाय बोर्ड व तंबाकू बोर्ड क्रमशः कोलकत्ता व गुंटूर में स्थापित है।
- बंजर और अकृष्य भूमि पहाड़ व रेगिस्तान इत्यादि में आच्छादित भूमि है।
- चालू परती भूमि ऐसा बुआई क्षेत्र है जो चालू वर्ष में फसल विहीन कहलाता है।
- वृहत सिंचाई परियोजनाओं में शामिल क्षेत्र 10 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल को कवर करता है।
- कुल फसल क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले राज्य—1. उ.प्र., 2. पंजाब, 3. तमिलनाडु, 4. हरियाणा, 5. बिहार, 6. म.प्र., 7. गुजरात, 8. आन्ध्र प्रदेश, 9. प. बंगाल एवं 10 राजस्थान हैं।
- कुल फसल क्षेत्र में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाले राज्य—1. असम, 2. सिक्किम, 3. हिमाचल, 4. मिजोरम, 5. झारखण्ड, 6. महाराष्ट्र, 7. केरल, 8. त्रिपुरा, 9. नागालैण्ड एवं 10. मेघालय हैं।